आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपीलवाद सं0-35/23

संजीव कुमार मांझी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

01.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति अपीलवाद न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-06/2021 में दिनांक 22.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है। न्यायालय समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः-

" विभागीय अधिसूचना संख्या जो ज्ञापांक-3223 खाद्य, पटना, दिनांक 21.07.2022 द्वारा संसूचित है, के कंडिका 2(iv) में निहित प्रावधान के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।'

उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में प्रखंड-बरौली, पंचायत-सोनबरसा, रोस्टर बिन्दु-704 हेतु श्री चन्द्रजीत कुमार पिता-रामाशंकर राम के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गयी। उक्त चयन से विक्षुब्ध होकर वर्तमान अपीलकर्ता श्री संजीव कुमार मांझी, पिता-मोतीलाल मांझी द्वारा दिनांक 03.02.2021 को न्यायालय, समाहर्त्ता के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-06/2021 दायर किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा दिनांक 03.03.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 7924/2021 भी दायर किया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 7924/2021 में दिनांक 04.02.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

".....this application is disposed of with an observation that if the petitioner approaches competent authority under the provisions of the control order, 2016, within four weeks from today raising the grievance as has been raised in the present writ application, his representation/application shall be considered expeditiously and decided, as early as possible, preferably within three months from the date of presentation of the application/representation."

उक्त आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त न्यायालय के स्तर पर आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सं0-41/2022 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 20.05.2022 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0-1750, दिनांक 10.03.2016 के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान

Scanned with CamScanner

के स्वामी की अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार करने से संबंधित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिला पदाधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति होने की तारीख से तीस दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। इस क्रम में न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध वाद संख्या-06/2021 में दिनांक 22.11.2022 को आदेश पारित किया गया जिसके आलोक में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

4. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला-गोपालगंज, प्रखंड-बरौली, पंचायत-सोनवरसा के रोस्टर बिन्दु-704 पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अपीलकर्त्ता, संजीव कुमार मांझी, विपक्षी सं0-02, चंद्रजीत कुमार के साथ ही अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया जिसमें अपीलकर्त्ता क्र0 सं0-01 पर तथा विपक्षी सं0-02 क्र0 सं0-04 पर रहे है। अपीलकर्त्ता की शैक्षणिक योग्यता विपक्षी सं0-02 से अधिक है तथा विपक्षी के कम्प्यूटर योग्यता कॉलम में 'No' अंकित है। अपीलकर्त्ता की जन्म तिथि दिनांक 02.01.1987 जबकि विपक्षी की जन्म तिथि 24.10.1993 है। परंतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार न करते हुए विपक्षी के चयन की अनुशंसा की गयी, जो कि त्रुटियुक्त है।

उपर्युक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0-02 के चयन को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

5. विपक्षी सं0-02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(ii)** में प्रावधान है कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचने के लिए अधिकतम 2 कि0मी0 से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े और इसी प्रावधान के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए विपक्षी सं0-02, चन्द्रजीत कुमार के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गयी है। जबकि अपीलकर्त्ता, संजीव कुमार मांझी उक्त अर्हता को पूरा नहीं करते है।

इस क्रम में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पत्रांक-3097, दिनांक 16.11.2023 में उल्लेखित है कि *"अपीलकर्त्ता संजीव कुमार मांझी के घर से पूर्व से कार्यरत विक्रेता की दूरी लगभग 300 मी0 है साथ ही विपक्षी चन्द्रजीत कुमार के घर से पूर्व से कार्यरत विक्रेता की दूरी लगभग 1 कि0मी0 है"*। इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्रजीत कुमार का घर प्रस्तावित व्यापार स्थल से 2 कि0मी0 की दूरी के अंदर है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता संजीव कुमार मांझी को वांछित अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण प्राथमिकता नहीं दी गयी है।

Scanned with CamScanner

उक्त के आलोक में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जाए।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खाद्य, पटना, दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1750, दिनांक 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-963, दिनांक 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं0-2342, दिनांक 15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत सदर अनुमंडल, गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल के अन्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु समाहरणालय गोपालगंज द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया इस क्रम में दिनांक 29.12.2020 को जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में प्रखंड-बरौली, पंचायत-सोनबरसा, रोस्टर बिन्दु-704 पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0-02, चन्द्रजीत कुमार, पिता-रामाशंकर राम के नाम अनुमोदन किया गया। जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 03.02.2021 को न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपीलवाद सं0-06/2021 दायर किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा दिनांक 03.03.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 7924/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सं0-41/2022 दायर किया गया, जिसे **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के कंडिका 32(iii) के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर करने हेतु आदेशित किया गया। इस क्रम में न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध वाद सं0-06/2021 में दिनांक 22.11.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसके आलोक में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार औपबंधिक मेधा सूची के अवलोकन में अपीलकर्त्ता, संजीव कुमार मांझी को क्र0 सं0-01 पर तथा विपक्षी सं0-02 चन्दजीत कुमार को क्र0 सं0-04 पर रखा गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि औपबंधिक वरीयता सूची के अवलोकन में अपीलकर्त्ता का मैट्रिक का अंक प्रतिशत 55.42% उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (64.4%), कम्प्यूटर योग्यता-D.C.A. तथा जन्म तिथि-02.01.1987 अंकित है। अभियुक्ति कॉलम में *"व्यापार स्थल पर भवन का निर्माण नहीं है एवं पूजी पर्याप्त है"* अंकित है। जबकि विपक्षी चन्द्रजीत कुमार का मैट्रिक का अंक प्रतिशत-42.4%(212), उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (58.63%), कम्प्यूटर योग्यता-No तथा जन्म तिथि 24.10.1993 अंकित है। अभियुक्ति कॉलम में *"भंडारण क्षमता एवं पूर्जी पर्याप्त है"* अंकित है।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे यह भी बताया गया कि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के**

Scanned with CamScanner

कंडिका 9(ii) के प्रावधान के अनुरूप उनका व्यापार केन्द्र निर्धारित परिधि के अन्दर अवस्थित रहने के बावजूद उनके पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा नहीं किया गया है। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक-3097, दिनांक 16.11.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए अपीलकर्त्ता श्री संजीव कुमार मांझी के जाँच प्रतिवेदन-सह-चेक लिस्ट में अंकित है कि *'वर्तमान में विल्हित व्यापार स्थल पर भवन का निर्माण नहीं किया गया'। साथ ही* विपक्षी सं0-02 के जाँच प्रतिवेदन -सह-चेक लिस्ट में आवेदक का कम्प्यूटर ज्ञान ADCA अंकित किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के प्रासंगिक पत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(ii)** के प्रावधानों के अनुरूप अर्हता पूरी नहीं करने के कारण अपीलकर्ता को प्राथमिकता नहीं दी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

सभी पक्षों को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के आधार पर अपीलकर्ता संजीव कुमार मांझी तथा विपक्षी चन्द्रजीत कुमार की स्थिति निम्नवत है;

अभ्यर्थी का नाम	मैट्रिक अंक/प्रतिशत	उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता स्नातक	जन्म तिथि	कम्प्यूटर योग्यता	अभ्युक्ति
संजीव कुमार मांझी, अपीलकर्ता	388/55.42%	56.4%	02.01.1987	DCA	व्यापार स्थल पर भवन का निर्माण नहीं है एवं पूंजी पर्याप्त है।
चन्द्रजीत कुमार, विपक्षी	212/42.4%	56.63%	24.01.1993	No	भण्डारण क्षमता एवं पूंजी पर्याप्त है।

उल्लेखनीय है कि औपबंधिक वरीयता सूची में विपक्षी चन्द्रजीत कुमार के कम्प्यूटर योग्यता के सामने 'No' अंकित किया गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक-3097, दिनांक 16.11.2023 द्वारा विपक्षी का जाँच प्रतिवेदन-सह-चेक लिस्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें विपक्षी चन्द्रजीत कुमार के कम्प्यूटर ज्ञान के सामने 'ADCA' अंकित है। अभिलेख पर अंतिम वरीयता सूची उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि औपबंधिक वरीयता सूची

Scanned with CamScanner

तैयार करने के समय तक विपक्षी चन्द्रजीत कुमार द्वारा अपने कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कागजात उपलब्ध कराया गया था अथवा नहीं।

(ii) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1, के कंडिका–2 में व्यवसाय स्थल का निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना है:–

(क) मकान/दुकान सं0.....
(ख) होल्डिंग नं0.....
(ग) क्षेत्रफल .....
(घ) खाता सं0....., खेसरा सं0.....
(ङ) चौहद्दी.....
(च) मुहल्ला/वार्ड नं0.....
(छ) ग्राम/शहर
(ज) थाना.....
(झ) जिला.....

लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक–3097, दिनांक 16.11.2023 के द्वारा अपीलकर्ता संजीव कुमार मांझी का आवेदन पत्र का जाँच प्रतिवेदन–सह–चेक लिस्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिससे यह टिप्पणी अंकित है कि *"वर्तमान में चिन्हित व्यापार स्थल पर भवन का निर्माण नहीं किया गया"।*

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 के कंडिका–2 में उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय व्यवसाय स्थल के संबंध में उक्त विवरण दिया जाना है। परंतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में *"वर्तमान में चिन्हित व्यापार स्थल पर भवन का निर्माण नहीं किया गया"* अंकित है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में भी अपीलकर्ता द्वारा व्यापार स्थल से संबंधित कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जन वितरण प्रणाली केन्द्र के अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करते समय केन्द्र के संचालन हेतु पर्याप्त जगह की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। जिसके अभाव में अन्य वांछित योग्यता रखने के बावजूद अपीलकर्ता संजीव कुमार मांझी की अभ्यर्थिता अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति), गोपालगंज के ज्ञापांक–955/आ0, दिनांक 30.12.2020 द्वारा विपक्षी चन्द्रजीत कुमार, पिता–रामाशंकर राम के चयन को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner